न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 76 / 2022
अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 11/10/20

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 82 / 124 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी स0 1 का 1 / 4 हिस्सा व प्रार्थी स0 2 का 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी स0 1 का नाम प्रताप पुत्र राजेराम जाति बादी व प्रार्थी स0 2 का महावीर पुत्र राजेराम भुलवंश एवं जाति बादी सहबन से दर्ज हुआ है लेकिन प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नाम प्रार्थी स0 1 का रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर व प्रार्थी स0 2 का महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर, महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर दर्ज है। प्रार्थीगण इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीगण के सही नाम मुताबिक दस्तावेज दर्ज कर देवे तो अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई कि रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर, महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर है जबकि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में नाम क्रमशः प्रताप पुत्र दर्ज नाम एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम अलग अलग व्यक्तियों के न होकर एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम दर्ज हुए है। प्रार्थीगण के नाम सही किया जाना उचित है। अप्रार्थी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश कर निवेदन किया की राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर, महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर है जबकि राजस्व रिकार्ड में नाम क्रमशः प्रताप पुत्र राजेराम व महावीर पुत्र राजेराम व जाति बादी दर्ज है राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम अलग अलग व्यक्तियों के न होकर एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम दर्ज हुए है। जिससे प्रार्थी को विभिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर, महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 82/124 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी स0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी स0 2 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है,, जिसमें प्रार्थीगण का नाम कमशः प्रताप पुत्र राजेराम व महावीर पुत्र राजेराम व जाति बादी दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम प्रताप पुत्र राजेराम व महावीर पुत्र राजेराम व जाति बादी के स्थान पर रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर, महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पार्षद वार्ड न0 26 द्वारा प्रार्थीगण के नाम के संबंध मे तस्दीक प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण का नाम रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर, महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम चक देईदासपुरा खाता संख्या 119 में प्रार्थी स0 1 का नाम प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीगण की जाति बाजीगर दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट एवं नाम के संबंध में वार्ड पार्षद की तस्दीक आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वार्ड पार्षद वार्ड न0 26 नोहर की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 82/124 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से प्रार्थी स0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी स0 2 का 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिमसें **प्रार्थी स0 1 प्रताप पुत्र राजेराम जाति बादी के स्थान पर प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र राजेराम जाति बाजीगर व प्रार्थी स0 2 महावीर पुत्र राजेराम जाति बादी के स्थान पर महावीर प्रसाद पुत्र राजेराम जाति बाजीगर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रताप पुत्र राजेराम जाति बादी व महावीर पुत्र राजेराम जाति बादी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रताप पुत्र राजेराम जाति बादी व महावीर पुत्र राजेराम जाति बादी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम कमशः प्रताप पुत्र राजेराम जाति बादी व महावीर पुत्र राजेराम जाति बादी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/10/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:00:50 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर